रिट याचिका (सिविल) सं0–309/2003, 330/2001, 44/2004 एवं 688/2007 लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में राज्य में वधशाला के लिए गठित कमिटी का दिनांक–13.10.15 को पूर्वा0 10.30 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

1. श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
2. श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव –सह– निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग।
3. श्री जय सिंह, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
4. श्री विनीत कुमार चौधरी, उप महानिरीक्षक, CID.
5. डा0 गोकुल लाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
6. श्री गोविन्द, सहायक श्रमायुक्त, (मुख्यालय) ।
7. डा0 उमा शंकर पाठक, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं।
8. श्री एस0पी0राय, पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. श्रीमती रत्ना प्रसाद, श्रमायुक्त के सचिव।
10. श्री विनय कुमार सिंह, P.J. (सेवानिवृत) –सह– संयोजक राज्य वधशाला कमिटी।
11. श्री दामोदर प्रसाद, न्यायाधीश (सेवानिवृत) –सह–सदस्य, राज्य वधशाला कमिटी।
12. श्री कमरूद्दीन, बि0प्र0से0, (सेवानिवृत) –सह–सदस्य राज्य वधशाला कमिटी।
13. श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं अवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. सर्व प्रथम दिनांक–11.03.2015 को आयोजित पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के विन्दु पर चर्चा की गई। सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री अरविन्द कुमार झा द्वारा बताया गया कि वधशाला के लिए गठित कमिटी में दो और सदस्यों को नामित करने की कार्रवाई कर ली गई है। नामित सदस्य श्री दामोदर प्रसाद, न्यायाधीश (सेवानिवृत) एवं श्री कमरूद्दीन, बि0प्र0से0 (सेवानिवृत) जो इस बैठक में उपस्थित भी हुए हैं, का परिचय सभी सदस्यों से कराया गया।

2. विगत बैठक में सभी नगर निकायों एवं जिलाधिकारियों से वधशाला की सूची की माँग करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में सभी ULB एवं जिलाधिकारियों से वधशाला की सूची की माँग की गई है। राज्य वधशाला कमिटी के संयोजक श्री विनय कुमार सिंह द्वारा पूछे जाने पर सहायक निदेशक द्वारा बताया गया की अब तक इसकी सूची प्राप्त नहीं हुई है। निर्णय लिया गया की पूनः सभी ULB एवं जिलाधिकारियों से वधशाला की सूची की माँग की जाय।

3. जिला मुख्यालय में आधुनिक वधशाला के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलाधिकारियों को पत्राचार किया गया है परन्तु अभी तक इसकी सूचना केवल बिहारशरीफ (नालन्दा) से

प्राप्त हुई है, सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि समाहर्त्ता नालंदा द्वारा मात्र 0.08 एकड़ (324 वर्गमीटर) भूमि ही उपलब्ध कराने की सूचना दी गई है जबकि BUIDCo के Feasibility Study Report के अनुसार आधुनिक वधशाला के निर्माण हेतु लगभग 10,000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। इस संबंध में अधिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु उनसे पत्राचार किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आधुनिक वधशाला के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पुनः स्मारित किया जाय।

4. विगत बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–23.08.2012 को पारित न्यायादेश की कंडिका 4(VIII) के अनुपालन हेतु सभी जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक को मुख्य सचिव, बिहार की ओर से पत्र लिखे जाने हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में मुख्य सचिव की ओर से अनुपालन हेतु सभी जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक को निदेश दिया गया है।

5. प्रधान सचिव, श्री अमृत लाल मीणा द्वारा बताया गया कि आधुनिक वधशाला निर्माण के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन चुनाव के बाद राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्य SPUR के Consultant के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार सभी ULB अपने–अपने नगर निकायों में कार्यशाला का आयोजन करेंगे जिसमें सभी Stake Holder भाग लेंगे।

6. राज्य वधशाला कमिटी के संयोजक श्री सिंह द्वारा वधशाला एवं Meat Shop के लिए उपलब्ध नियम संबंधी पृच्छा किए जाने पर सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि खाद्य संरक्षा अधिकारी (मुख्यालय) द्वारा उपलब्ध कराये गये वधशाला एवं Meat Shop के लिए बनाये गये नियम संबंधी खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियमावली, 2011 की प्रति सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दी गई है। आगामी बैठक में राज्य वधशाला कमिटी के सदस्यों को भी इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

7. राज्य वधशाला कमिटी के नामित सदस्य श्री कमरूद्दीन द्वारा Meat Shop Regulation के बारे में पृच्छा किये जाने पर सहायक निदेशक श्री झा द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा पटना नगर निगम के Meat Shop Regulation को अनुमोदित किया जा चुका है एवं अन्य सभी नगर निकायों को भी नियमानुसार Meat Shop Regulation का प्रारूप राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु उपलबध कराने का निदेश दिया गया है जो प्रक्रियाधीन है। प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में विभाग के स्तर से सतत् प्रयास किये जाने का निदेश दिया गया।

8. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, श्री जय सिंह द्वारा अनुरोध किया गया कि विभाग स्तर से ही Model Meat Shop/Slaughter House का Design तैयार कराकर सभी नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाय। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के Model Design BUIDCo से तैयार कराकर सभी ULB को उपलब्ध करायी जाय।

9. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, श्री जय सिंह द्वारा पूछे जाने पर सहायक निदेशक श्री झा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंसकरण मिशन के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा Meat Shop के

आधुनिकीकरण के लिए प्राक्कलित राशि का 50% या 05 लाख रू0 में जो न्यूनतम हो एवं वधशाला निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि का 50% या 15 करोड़ रू0 में जो न्यूनतम हो उद्योग विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में सभी नगर निकायों से Meat Shop के आधुनिकीकरण एवं वधशाला निर्माण हेतु प्रस्ताव की माँग की गयी है। लेकिन अब तक कहीं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

10. उपस्थित सभी सदस्यों से विचारोपरांत प्रधान सचिव द्वारा खुले में/सार्वजनिक स्थलों के पास मांस, मछली एवं कुक्कुट बिक्री को नियंत्रित करने हेतु सभी नगर निकायों एवं जिलाधिकारियों को निदेश देने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/न्या0–16–01/2015 4510 दिनांक– 26/10/15

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं कमिटी के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।